न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 405/2020 उनवान रंगलाल बनाम बलराम

रंगलाल पुत्र स्व. रामकरण, जाति जाट, आयु 70 साल निवासी देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर राज.। —प्रार्थी

बनाम

बलराम पुत्र स्व. नन्दा, जाति जाट, निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। — अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 12/7/25........

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार के द्वारा पेश
किया गया जिसे दिनांक 28.10.2020 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 405/2020 पर दर्ज
किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार
ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 04, 05 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम देवपुरी
पटवार हल्का देवपुरी तहसील अरांई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 821, 824, 825 कुल किता
03 कुल रकबा 63 बीघा 10 बीस्वा है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 04, 05 राजस्व रिकार्ड में अंकित
हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का प्रार्थीगण की उपर्युक्त भूमि से किसी
प्रकार का कोई लेना देना नहीं है ना ही सरोकार है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 नाजायज समूह बना
कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में में बाधा उत्पन्न करतें है, श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व उनके परिवारजन को वाद के गुणावगुण के निस्तारण
तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित
ग्राम देवपुरी स्थित खसरा संख्या 821 रकबा 23 बीघा 19 बीस्वा, खसरा संख्या 824 रकबा 19 बीस्वा, खसरा
संख्या 825 रकबा 38 बीघा 12 बीस्वा कुल किता 03 कुल र[illegible] बीघा 10 बीस्वा में प्रार्थीगण के 1/2
हिस्से तक दखलअन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीगण [illegible] नहीं करे।
प्रकरण [illegible] दर्ज करने के बाद अप्रार्थीगणों [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 व 02,03 की ओर से
वकील श्री वि[illegible] सिंह उपस्थित होकर दिनांक 21.12.2020 को [illegible]ब पेश किया। जवाब में [illegible] प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

जाहिर किया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता रामकरण पुत्र छीतर जाति जाट ने 1/2 हिस्से को दिनांक 22.06.2001 को नन्दा पुत्र श्री रामकरण जाट निवासी दण्ड की ढाणी हरपुरा दादिया को 6000 अक्षरे छ हजार रू में विक्रय कर दी थी जिसकी लिखावट 100/— के स्टाम्प पर कर दी तथा कब्जा सम्भला दिया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 तभी से उक्त वादअधीन भूमि पर काबिज काश्त हैं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 05.01.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 04,05 का जवाब बन्द किया गया तथा दिनांक 21.06.2024 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 04, 05 विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने दिनांक 22.06.2001 को विवादित आराजीयात के संबंध में प्रार्थीगण के पिता द्वारा जरिये 100/— के स्टाम्प पत्र अप्रार्थीगण के पिता को विक्रय करना बताया लेकिन उनके द्वारा कोई रजिस्टर्ड बेचाननामा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का विवादित आराजी मे कोई हक हिस्सा निहित होना जाहिर नहीं पाया गया है। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन किया गयाः—

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण— प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का वादअधीन भूमि में कोई वैध हित नहीं है। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलन— प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है, यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत की जाती है तो प्रार्थीगणों को असुविधा होगी। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
3. अपूरणिय क्षति— प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है, यदि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत की जाती है तो प्रार्थीगणों को अपूरणिय क्षति होगी। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित ग्राम देवपुरी स्थित खसरा संख्या 821 रकबा 23 बीघा 19 बीस्वा, खसरा संख्या 824 रकबा 19 बीस्वा, खसरा संख्या 825 रकबा 38 बीघा 12 बीस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 63 बीघा 10 बीस्वा में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से तक दखलअन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 12/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible] हस्ताक्षरी के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)